न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 432 सन 2018

अनवान :–

1. गणेश 2 लिच्छुराम 3 चुन्नीराम 4 नत्थुराम 5 मनीराम पि0 बस्ती जाति बावरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील रावतसर।

6 इन्द्राज 7 मुखराम पि0 पुरखाराम जाति बावरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील श्रावतसर

8. राजकुमार 9 बिरबलराम 10 रामरख पि0 गणपतराम जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर

11 आसाराम 12 शिशपाल पि0 शंकरलाल जाति बावरी निवासीगण चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर जरिये मुक्त्यारआम आसाराम ।

13 सुलतान 14 दयाराम 15 हेतराम 16 देवीलाल 17 खियाराम पि0 आदुराम जाति बावरी निवासीगण चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर

18 हरचन्द 19 भैराराम पि0 जोराराम जाति बावरी निवासीगण ढाणी बावरियान तहसील रावतसर ।

वादी

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र पूर्ण जाति बावरी निवासी ढाणी बावरीयान तहसील रावतसर।
2. लालचन्द पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी ढाणी बावरीयान तहसील रावतसर
3. भादरराम 4 लिछमण पि0 पूर्ण जाति बावरी निवासी बावरियान तहसील रावतसर

5 मु0मीरा 6 हनुमान 7 भागीराम 8 मु0तीजा 9 बनवारी 10 मु0 आचुकी 11 पालीराम 12 मु0 रेशमा पुत्र/पुत्रीया इमरताराम जाति बावरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील रावतसर

13 मांगीलाल 14 पवन पि0 श्योकरण पुत्र इमरता जाति बावरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील रावतसर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 06/01/19

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 118/114 के खसरा न0 115 की 4.5540हैक भूमि में बस्ती व जोरा साहिब तथा खाता संख्या 120/116 के खसरा न0 350/6.0590हैक खसरा न0 416/1 की 17.5330हैक कुल 23.5920हैक भूमि जोरा की थी इसप्रकार जोरा की दोनो खातों में 25.869हैक भूमि थी जोरा के कुल सात वारिसान गणतराम, पूर्णराम, हरचन्द, बस्ती, आदुराम , भैराराम , इमरता हुए इसलिये सातों वारिसान का प्रत्येक 3.6958 हैक अर्थात जोराराम की भूमि में हिस्सा हुआ और बस्ती का खूद का 2.2770है व 3.6956हैक कुल 5.9726हैक भूमि हिस्सा हुआ।

जोरा की मृत्यू के बार उसके वारिसान के नाम से उनके हक हिस्सा की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है जो सयुक्त खाता में दर्ज है वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा के अनुसार आपसी सहमति से भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज हे जिसका बाहमी बटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा व राजीनामा पेश किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज है वादीगण का कथन है कि सयुक्त खाता की भूमि का अपने अपने हक हिस्सा एवं किस्म भूमि के अनुसार वाद भूमि का खाता विभाजन कर लिया है वादीगण के

सत्यमेव जयते
Web copy - Not official

कथनों को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के अनुसार वाद वादीगण काबिल डिक्री है तथा मुश्तरका खातेदार अपने हक व हिस्सा के अनुसार खाता व लगान आपसी सहमति से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 118/114 के खसरा न0 115 की 4.5540हैक्ट एवं खसरा न0 416/1 की उतरी पूर्वी दिशा की 1.4185हैक्ट जिसके उत्तर व पश्चिम में वादी संख्या 13 ता 17 तथा दक्षिण में हरचन्द है जिसमें वादी संख्या 1 ता 5 का 5/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 ,7 का 1/6 हिस्सा बहिब भूमि रहेगी।

रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 120/116 के खसरा न0 350 की 6.0590हैक्ट खसरा न0 416/1 की 17.5330हैक्ट भूमि में खसरा न0 350 के पश्चिमी तरफ की 2.364हैक्ट तथा खसरा न0 416/1 की 1.3315हैक्ट दक्षिणी अन्तिम छोर की आयी जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब भूमि रहेगी।

खसरा न0 350 की पूर्वी तरफ की 3.6955हैक्ट भूमि में वादीगण संख्या 8 ,9 ,10 का 3/4 हिस्सा व वादी संख्या 11 ,12 का 1/4 हिस्सा है।

खसरा न0 416/1 की दक्षिणी दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के उतरी तरफ चिपती हुई 3.6955हैक्ट भूमि वादी संख्या 19 की है।

खसरा न0 416/1 की दक्षिणी तरफ भैराराम के चिपती हुई उतरी तरफ 3.6955हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 14 की 3.6955 हैक्ट भूमि जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 12 का 12/13 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 13 ,14 का 1/13 हिस्सा है।

खसरा न0 416/1 की मध्य भूमि जो प्रतिवादी संख्या 5 ता 14 के उतरी तरफ 3.6956हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 18 हरचन्द की है।

खसरा न0 416/1 की उतरी दिशा की 3.6955 हैक्ट भूमि वादी संख्या 13 ता 17 बहिब भूमि रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/-- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/01/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official